आयुक्तसीमाशुल्क (आयात-II) काकार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT - II)
सीआरएआरएस,नवीनसीमाशुल्कभवन,वेलार्डइस्टेट,मुंबई–४००००१
CRARS, New Customs House, Ballard Estate, Mumbai- 400 001
Email-nch-import-crars@gov.in

F.No. CUS/RFD/GENC/17/2025 29-10-2025

DIN NO.: 20251077000000555589

सार्वजनिक नोटिस/ PUBLIC NOTICE NO.26/2025

विषय: केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रतिदाय अनुभाग (सीआरएआरएस) का पुनर्गठन एवं उसकी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना - तत्संबंधी।

SUBJECT: Re-Organisation of Centralized Receipt And Refund Section(CRARS) & Streamlining the Procedure thereof – Regarding.

सभी आयातकों/निर्यातकों/ कस्टम ब्रोकर (सीबीएस) और सभी संबंधितों का ध्यान बोर्ड के परिपत्र संख्या 05/2025- सीमा शुल्क दिनांक 17.02.2025 के साथ पठित स्थायी आदेश संख्या 05/2025 दिनांक 27.10.2025 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें सीमा शुल्क वापसी आवेदनों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने और धनवापसी संवितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, आयात, निर्यात और सामान्य आयुक्तालय से संबंधित सभी धनवापसी दावे 01.11.2025 से 5वीं मंजिल, एनेक्सी बिल्डिंग, आयात-II, न्यू कस्टम हाउस, मुंबई में सीआरएआरएस के साथ केंद्रीकृत हो जाएंगे, जिसमें आईजीएसटी और ड्रॉबैक से संबंधित धनवापसी शामिल नहीं है, जिसे संबंधित अनुभाग के एसी/डीसी द्वारा संभाला जाना जारी रहेगा।

Kind attention of all the Importers/Exporters/Customs Brokers(CBs) and all concerned is invited towards the Standing Order No. 05/2025 dated 27.10.2025 read with the Board's Circular No. 05/2025- Customs dated 17.02.2025 wherein in order to ensure expeditious disposal of Customs Duty refund Applications and to enhance transparency in refund disbursement, all refund claims related to Import, Export & General Commissionerate will stand centralized with CRARS at 5th Floor, Annex Building, Import-II, New Custom House, Mumbai with effect from 01.11.2025 excluding the refund related to IGST & Drawback which will continue to be handled by AC/DC of the respective section.

2 . पारदर्शिता बढ़ाने और रिफंड के इलेक्ट्रॉनिक संवितरण के लिए , सीमा शुल्क रिफंड आवेदनों का एक ऑनलाइन प्रसंस्करण और संवितरण विकसित किया गया है और इसे सीबीआईसी परिपत्र संख्या 05/2025 दिनांक 17.02.2025 के अनुसरण में आईसीईगेट पर सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर सक्षम किया गया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 के बाद कोई भी मैनुअल रिफंड आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त/ आयुक्त द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अनुमति नहीं दी जाती है।

To enhance transparency and for electronic disbursal of refunds, an online processing and disbursal of Customs duty refund applications has been developed and is enabled on the Customs Automated System on ICEGATE in pursuance of the CBIC Circular No. 05/2025 dated 17.02.2025 wherein no manual refund application shall be accepted after 31st March, 2025, unless the same is allowed by the concerned Pr. Commissioner/ Commissioner of Customs, for the reasons to be recorded in writing.

3. ICEGATE वर्तमान में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत धनवापसी दावों का समर्थन करता है:

A. पुनर्मूल्यांकन-आधारित धनवापसी
B. अन्य धनवापसी:
a) दोहरा शुल्क भुगतान
b) अनुकूल निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश
c) प्रवेश पत्र का अंतिम रूप देना
d) किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण चुकाया गया शुल्क , जुर्माना या ब्याज
e) "घरेलू उपभोग" से "इनटू-बॉन्ड/वेयरहाउसिंग" में निकासी का रूपांतरण
f) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित शुल्क भार
g) बैंक गारंटी विनियोजन
h) पूर्व-जमा राशि
i) निर्यातक को लौटाया गया माल
j) पुनः आयातित माल
k) दोषपूर्ण या अनावश्यक माल
l) विविध

ICEGATE currently supports refund claims under the following categories:

A. Reassessment-based Refund
B. Other Refunds:

a. Double Duty Payment
b. Favourable Judgment, Decree, Order or Direction
c. Finalization of Bill of Entry
d. Duty, Penalty, or Interest paid due to action by an Enforcement Agency
e. Conversion of clearance from "Home Consumption" to "Into-Bond/Warehousing"
f. Duty burden passed on by another person
g. Bank Guarantee Appropriation
h. Pre-deposit
i. Goods Returned to Exporter
j. Re-imported Goods
k. Defective or Redundant Goods
l. Miscellaneous

3.1. वर्तमान में, ICEGATE ने केवल आयातों के लिए रिफंड मॉड्यूल चालू किया है। निर्यात और अन्य रिफंड के रिफंड आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु, रिफंड प्रसंस्करण हेतु निर्यात

मॉड्यूल शुरू होने पर एक अलग भूमिका सृजित की जाएगी। जब तक ICEGATE पर ऐसी कार्यक्षमताएँ सक्रिय नहीं हो जातीं, तब तक इन श्रेणियों से संबंधित रिफंड आवेदनों का प्रसंस्करण CRARS, आयात II, NCH द्वारा मौजूदा प्रथाओं के अनुसार मैन्युअल रूप से किया जाता रहेगा।

Presently, ICEGATE has operationalized refund module only for imports. For processing refund applications of exports and other refunds, separate role will be created as and when export module for processing refund will be launched. Until such functionalities are made live on ICEGATE, refund applications related to these categories will continue to be processed manually as per existing practices by CRARS, Import II, NCH.

4. यदि रिफंड आवेदन आइसगेट ऑनलाइन रिफंड मॉड्यूल के अंतर्गत आता है, तो आवेदकों को सीबीआईसी परिपत्र संख्या 05/2025 दिनांक 17.02.2025 और इसके अलावा, सीमा शुल्क आयुक्त, आयात-II, एनसीएच द्वारा व्यापार और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 37/2025 दिनांक 20.03.2025 के अनुसार अपने रिफंड आवेदन ऑनलाइन ही दाखिल करने होंगे।

In case the refund application is covered under the ICEGATE online refund module, applicants are required to file their refund applications online itself as per the CBIC Circular No. 05/2025 dated 17.02.2025 and further, Public Notice No. 37/2025 dated 20.03.2025 issued by Commissioner of Customs, Import-II, NCH sensitizing the trade & stakeholders.

5. सभी आयातकों/निर्यातकों/ कस्टम ब्रोकर (सीबीएस) और सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे आयात, निर्यात और सामान्य आयुक्तालय से संबंधित अपने सभी भावी रिफंड दावे 01.11.2025 से 5वीं मंजिल, एनेक्सी बिल्डिंग, आयात-II, न्यू कस्टम हाउस, मुंबई में सीआरएआरएस के पास दाखिल करें, जिसमें आईजीएसटी और ड्रॉबैक से संबंधित रिफंड शामिल नहीं है, जिसे संबंधित अनुभाग के एसी/डीसी द्वारा संभाला जाना जारी रहेगा।

All the Importers/Exporters/Customs Brokers(CBs) and all concerned are hereby requested to file all their future refund claims related to Import, Export & General Commissionerate with CRARS at 5th Floor, Annex Building, Import-II, New Custom House, Mumbai with effect from 01.11.2025 excluding the refund related to IGST & Drawback which will continue to be handled by AC/DC of the respective section.

6 . इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को इस कार्यालय के ध्यान में लाया जा सकता है।

Any difficulty noticed in the implementation of this Public notice may be brought to the notice of this office.

Digitally signed by
KUMAR AMRENDRA NARAYAN
Date: 29-10-2025 12:13:01

(Kumar Amrendra Narayan)
Commissioner of Customs,
Import-II, Zone-I
NCH, Mumbai.

Copy To:

1. ADC, CCO, Zone-I, NCH.
2. All Commissioners of Customs(General), (Export), (Import-I), Zone-I, NCH.
3. Brihanmumbai Customs Brokers Association(BCBA).
4. Maritime Association of Nationwide Shipping Agencies - India (MANSA).
5. Container Shipping Lines Association India (CSLA).
6. All India Importers and Exporters Association.
7. All India Women Custom Brokers Association.
8. DC/EDI, NCH for uploading on Zone-I Website.
9. Notice Board.